न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/सीलिंग/2608/2005/कोटा

द्वारकाबाई पुत्री मोतीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम रेलगांव तहसील दीगोद जिला कोटा

.....अपीलार्थी

बनाम

1. धूलीलाल पिता किशनलाल –मृतक **(जरिये कायममुकाम)**
   1/1. ज्यानाबाई बेवा धूलीलाल
   1/2. धनराज
   1/3. प्रभूलाल
   1/4. राधेश्याम
   1/5. कमला
   1/6. सुगना
   1/7. संतोष
   1/8. अनिता
   –पिसरान धूलीलाल जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम रेलगांव तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

.....रेस्पोर्डेंट्स

एकल पीठ
श्री द्वारका लाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री धमेन्द्र सिंह टांक, अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता, रेस्पोर्डेंट संख्या 1

निर्णय

दिनांकः– 06–08–2018

यह अपील राजस्थान राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 (संक्षेप में एतद्पश्चात् 'अधिनियम 1973')

की धारा 23 (2) के अंतर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) कोटा के निर्णय दिनांक 20-02-1997 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत अपील में कारित विलम्ब को क्षमा किया जाकर प्रकरण को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

3. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के पिता स्वर्गीय मोतीलाल के विरूद्ध सीलिंग प्रकरण विचाराधीन रहने के दौरान पिता के देहान्त होने के कारण अपीलान्ट पक्षकार संस्थित की गई। न्यायालय द्वारा खातेदार को 14-80 स्टेण्डर्ड एकड भूमि सरप्लस घोषित की गई, जिस बाबत पारित निर्णय दिनांक 16-3-1990 के अनुसार विकल्प प्रस्तुत किया गया तथा विकल्प के अनुसार भूमि अधिग्रहण की गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध परमानन्द द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो कि निर्णय दिनांक 12-5-1993 को खारिज कर दी गई। मण्डल के उक्त निर्णय के विरूद्ध परमानन्द द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो कि निर्णय दिनांक 30-9-1996 को खारिज कर दी गई। कालान्तर में परमानन्द द्वारा विकल्प बदलने हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जो कि राजकीय अधिवक्ता की आपत्ति नहीं होने के कारण स्वीकार कर लिया तथा दिनांक 19-6-1993 को नये विकल्प के अनुसार भूमि अधिग्रहण की आज्ञा पारित की गई व नये विकल्प के अनुसार अपीलान्ट के कब्जे की भूमि खसरा संख्या 19 हाल खसरा संख्या 22 ग्राम रेलगांव अधिग्रहण में कम करने पर लिखा गया। आवंटन अधिकारी उपजिला कलक्टर कोटा ने अपने आदेश दिनांक 12-3-1994 के द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में ग्राम रेलगांव के मुरब्बा संख्या 22 में अनकमाण्ड किला संख्या में 1-07 हैक्टर भूमि का स्थायी आवंटित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा के समक्ष अपील पेश की गई, जो कि निर्णय दिनांक

20–2–1997 को खारिज कर दी गई। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी ने मण्डल के समक्ष यह द्वितीय अपील पेश की है।

4. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम व रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि परमानन्द को विकल्प पेश करने का कानूनी अधिकार नहीं था। इस कारण उसके विकल्प के आधार पर अधिग्रहित की गई भूमि कानून सम्मत नहीं है। जबकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर भूमि अधिग्रहण होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आवंटन आदेश सीलिंग भूमि के संबंध में होने के कारण प्रश्नगत भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। आगे बताया कि मौके पर आराजी पर अपीलार्थी का कब्जाकाश्त है। यही नहीं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा उसे विधिवत रूप से मौके से बेदखल नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि आदेश दिनांक 19–6–1993 से अपीलार्थी के अधिकार प्रभावित नहीं होते है। इसके अतिरिक्त उक्त आदेश की पालना में जो भूमि अधिग्रहित की गई, उसमें से खसरा संख्या 19 की भूमि अधिग्रहण योग्य नहीं होने के कारण किया गया आवंटन निरस्ती होने योग्य है। उनका यह भी तर्क है कि सर्वप्रथम जानकारी बाबत आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अंदर मियाद होने के कारण कारित विलम्ब को क्षमा किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–2–1997 व आवंटन आदेश दिनांक 12–3–1994 को अपास्त किए जाने का निवेदन किया।

6. इसके विपरीत रेस्पोर्डेट्स संख्या 1 के अधिवक्ता ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय को न्यायसंगत, तर्कसंगत एवं विधि सम्मत बताते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त करने की प्रार्थना की है। उनका कथन है कि मोतीलाल के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही संस्थित

की गई, जिसके क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 14-80 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधिग्रहित किए जाने की आज्ञा पारित की गई। उक्त निर्णय के अनुसार तहसीलदार ने दिनांक 1-1-1994 को भूमि अधिग्रहित कर ली गई तथा उद्घोषणा कर छह आवंटित को 12-3-1994 को भूमि आंवटित की गई। जिसके अनुसार खसरा संख्या 236 की तीन आवंटित्यों को तथा खसरा संख्या 22 की तीन आवंटियों को भूमि का आवंटन किया गया। जिसकी पालना में अपीलार्थी को दिनांक 9-5-1994 को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया तथा कब्जे सुपुर्दगी पश्चात उनका लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। आगे बतायाकि आदेश दिनांक 19-6-1993 खसरा परिवर्तन का प्रकरण है जो अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत अपील की परिधि में नहीं आता है। उनका तर्क है कि मूल विवाद मोतीलाल का है जबकि झगडा द्वारकाबाई व परमानन्द के मध्य है। इसके अतिरिक्त आलोच्य आवंटन की नियमानुसार उद्घोषणा जारी की गई है। इस कारण यदि अपीलार्थी को प्रश्नगत आवंटन से आपत्ति थी तो उन्हें आलोच्य आवंटन से पूर्व अपनी आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिए थी, जो कि उसके द्वारा नहीं की गई है। उनका आगे तर्क है कि आलोच्य आवंटन विधि सम्मत होने के कारण विधि सम्मत आवंटन के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आक्षेपित निर्णय से खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की त्रुटिकारित नहीं की है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील को खारिज कर आक्षेपित निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया है।

7. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत समग्र रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया।

8. प्रश्नगत प्रकरण में आवंटी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 धूलीलाल पुत्र किशनलाल मेघवाल निवासी रेलगांव के पक्ष में आवंटन आदेश दिनांक 12-3-1994 के द्वारा ग्राम रेलगांव स्थित मुरब्बा संख्या 22 की 1-07 हैक्टर भूमि का आवंटन किया गया है, उक्त आवंटन की पालना

में आवंटी को दिनांक 09–05–1994 को कब्जा दिया जाना रेकार्ड से प्रदर्शित होता है। वर्तमान अपील में अपीलार्थी का तर्क यह था कि जिस भूमि का आवंटन किया गया है। वह भूमि सीलिंग प्रकरण में एसेसी वर्तमान अपीलार्थी द्वारा दिये गये विकल्प में सम्मिलित नहीं थी। ऐसी स्थिति में उसके आधिपत्य की भूमि का आवंटन यथावत रखे जाने योग्य नहीं था। हमारी सुविचारित राय में यदि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर सीलिंग में अधिग्रहित भूमि को आवंटन किया गया है तो अपीलार्थी को विकल्प में संशोधन किए जाने संबंधी आदेश को चुनौती देनी चाहिए थी। किन्तु यदि ऐसा नहीं है तो आवंटन आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती और न ही अपीलार्थी इस भूमि पर अपना कब्जा बनाये रख सकता है। अतः हमारी विनम्र में अपीलार्थी की इस अपील में कोई विधिक बिन्दु निहित नहीं है तथा बलहीन होने के कारण इसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9. परिणामतः द्वितीय अपील निरस्त की जाती है तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–02–1997 एवं आवंटन आदेश दिनांक 12–03–1994 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(द्वारका लाल मीणा)
सदस्य